संख्या-54/2016/वे0आ0-2-955/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2016

विषय-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग एवं आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग तथा परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग तथा जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग एवं आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग तथा परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग तथा जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुए। उक्त प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14 जून, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 14 जून, 2016 का कार्यवृत्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-54/2016/वे0आ0-2-955(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 जून , 2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून , 2016 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(ii) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव,कार्मिक विभाग – सदस्य

(iii) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य सचिव

2– मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्न प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :––

(अ) लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण।

(ब) डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण।

(स) आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण।

3– मुख्य सचिव समिति बैठक में सर्वप्रथम उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित संवर्गों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का पक्ष सुना गया। बैठक में सम्बन्धित संगठनों की ओर से निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) श्री वी0पी0 मिश्र, अध्यक्ष, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश तथा अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्।

(2) श्री सुरेश कुमार रावत, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ।

(3) श्री कमल कुमार श्रीवास्तव, सचिव, उ0प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ।

(4) श्री सुनील कुमार यादव, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन।

(5) श्री कृष्ण कुमार सचान, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन।

(6) श्री एच0बी0 मिश्रा, प्रेसीडेन्ट, राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उ0प्र0।

(7) श्री एस0एम0 अब्बास, जनरल सेक्रेक्ट्री, राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उ0प्र0।

4– बैठक में सम्बन्धि संगठनों के उक्त पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका संवर्गवार विवरण निम्नवत है :––

(प) प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा वर्तमान परिदृश्य में उक्त संवर्ग के बढ़े

हुये कार्य एवं उत्तदायित्वों तथा केन्द्र सरकार में स्नातक की अर्हता के साथ ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य होने के आधार पर वेतन समिति (2008) की संस्तुति के अनुसार उच्च अर्हता निर्धारित करते हुये उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की मांग की गयी है।

(फ) डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग द्वारा पूर्व में उनके समकक्ष वेतनमान में रहे संवर्गों के आधार पर फार्मासिस्ट के पद पर 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्सनल ग्रेड वेतन रू0 4200/– की व्यवस्था के स्थान पर पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2800/– को ग्रेड वेतन रू0 4200/– में उच्चीकृत किये जाने की मांग की गयी है।

(ब) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर डेन्टल हाईजीनिस्ट एवं एक्सरे टेक्नीशियन के समान ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने की मांग की गयी। उक्त मांग के पक्ष में उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व में आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट से उच्च वेतनमान अनुमन्य था। साथ ही आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर निर्धारित अर्हता उक्त दोनों पदों की अर्हता के अनुरूप है। तीनों पदों पर इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ सम्बन्धित विधा में 02 वर्षीय डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है।

5– सम्बन्धित संगठन के पदाधिकारियों का पक्ष सुने जाने के उपरान्त बैठक में उक्त विषयों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार किया गया। इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :––

(1) श्री वी0पी0 मिश्र, अध्यक्ष, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश के प्रत्यावेदन दिनांक 10 फरवरी, 2016 व दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा तथा इं0 हरि किशोर तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रत्यावेदन दिनांक 05 जनवरी, 2016 द्वारा लैब टैक्नीशियन संवर्ग, डिप्लोमा फार्मासिस्ट तथा आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति के निराकरण की मॉग की गयी है। उक्त प्रत्यावेदनों पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण मुख्य सचिव समिति के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के आदेशों के समादर में चिकित्सा अनुभाग–7 की पत्रावली संख्या–आठ–127/2006 के द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति, पत्रावली संख्या–320/पॉच–7–2016 के द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति तथा पत्रावली संख्या–सोलह–1087/98 के द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति के प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किये गये हैं।

(3) लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 जुलाई, 2014 तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचार किया जा चुका है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त संवर्ग में दृष्टिगोचर विसंगति का निराकरण किया गया।

(4) चिकित्सा विभाग के डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचार किया जा चुका है।

(5) आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक **14 जुलाई, 2014, दिनांक 18 मार्च, 2015 तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2015** को सम्पन्न बैठक में विचार किया जा चुका है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त संवर्ग में दृष्टिगोचर विसंगति का निराकरण किया गया।

(6) मुख्य सचिव महोदय के आदेशों के समादर में तथा चिकित्सा विभाग द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर उक्त संवर्गों की वेतन विसंगति के प्रकरण मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ पुनः सन्दर्भित हुये हैं ।

6— बैठक में मुख्य सचिव समिति को उक्त संवर्गों के सम्बन्ध में लिये गये मुख्य निर्णय तथा समय–समय पर अनुमन्य वेतनमान एवं ग्रेड वेतन आदि के सम्बन्ध में संवर्गवार विवरण/तथ्यात्मक स्थिति से निम्नवत् अवगत कराया गया : ——

(प) <u>लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति</u>

(i) लैब टेक्नीशियन पद पर वर्ष 1986 से केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य रहा है। तद्नुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– निर्धारित हुआ।

(ii) वेतन समिति (2008) द्वारा वर्तमान परिवेश में प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के पद पर वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशाधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने एवं बी0एस0 सी0 (रसायन विज्ञान के साथ) के साथ लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित करने तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/–अनुमन्य कराने की संस्तुति की गयी।

वेतन समिति की उक्त संस्तुति को स्वीकार करने का औचित्य

नहीं पाया गया।

(iii) उ0प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा ज्ञापन दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा प्रस्तुत मॉगों पर विचारोपरान्त संस्तुत देने हेतु दिनांक 14 जुलाई, 2014 को मुख्य सचिव समिति की बैठक आहूत हुयी। उक्त बैठक में मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियॉ पर लिये गये निर्णय के अनुसार सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया। साथ ही लैब टेक्नीशियन के 2402 पदों में से 200 पदों को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद में उच्चीकृत किया गया।

(iv) तदोपरान्त कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के कार्य एवं उत्तरदायित्वों तथा केन्द्र में स्नातक की अर्हता के साथ ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य होने के आधार पर लैब टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता बढ़ाते हुए वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराने की मॉग की गयी। उक्त मांग तथा विभागीय प्रस्ताव के आधार पर लैब टेक्नीशियन सवंर्ग की वेतन विसंगति का प्रकरण पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2015 को सम्पन्न मुख्य सचिव समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया। उक्त बैठक में विचारोपरान्त यह अभिमत स्थिर हुआ कि वर्तमान स्थिति में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर निर्धारित वेतनमान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं है। उक्त संवर्ग के पदों पर मांग/प्रस्ताव के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम व द्वितीय स्तर के पद की व्यवस्था केन्द्र सरकार के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पद की व्यवस्था से बेहतर है। उक्त स्थिति में राज्य में लैब टेक्नीशियन संवर्ग का सम्पूर्ण ढांचा केन्द्र सरकार के ढांचे के समान निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित होने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा। अब पुनः लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति पर विचार करते हुये लैब टेक्नीशियन के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– निर्धारित किये जाने का मांग की गयी है।

(v) सम्बन्धित संगठन/विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग/प्रस्ताव के अनुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड रू0 4200/–निर्धारित किये जाने हेतु निम्नलिखित आधारों पर विचार किया जाना है :–

(क) चिकित्सा विभाग में अन्य पद (यथा एक्सरे टेक्नीशियन/डेन्टल हाईजीनिस्ट) ग्रेड वेतन रू0 4200/– में उपलब्ध हैं । उक्त पदों

की अर्हता लैब टेक्नीशियन के पद की अर्हता में समान होने के आधार पर।

(ख) भारत सरकार में सम्बन्धित विधा में स्नातक की अर्हता के साथ ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य होने के आधार पर।

(ग) वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के बढ़े हुये कार्य एवं उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत सम्बन्धित विधा में स्नातक की अर्हता निर्धारित किये जाने की आवश्यकता के आधार पर।

उपर्युक्त आधारों के क्रम में निर्णय लिये जाने हेतु काफी वृहद् परीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही तदानुसार व्यवस्था करने हेतु चिकित्सा विभाग एवं प्रदेश के अन्य संवर्गों पर इसका प्रभाव भी देखा जाना होगा।

(फ) डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति

(i) फार्मासिस्ट के पद पर वर्ष 1986 से केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य रहा है। तद्नुसार के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में Entry grade वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा Entry grade में 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल आधार पर वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने की व्यवस्थ की गई ।

(ii) उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि फार्मासिस्ट पद पर नान फंक्शनल वेतनमान की सम्बन्धित व्यवस्था तत्काल प्रभाव अर्थात् दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी की गयी है। जबकि केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर होने के दृष्टिगत नान फंक्शनल की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी की जानी चाहिए। उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की दिनांक 09 जुलाई, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचारोपरान्त दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया कि फार्मासिस्ट के पद पर नॉन फक्शनल वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ आदेश दिनांक 18 मार्च, 2011 निर्गत होने की तिथि 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जाये।

(iii) तदोपरान्त सम्बन्धित संगठन की मांग पर चिकित्सा विभाग द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु प्रस्ताव किया गया, जिसपर मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 में विचार किया गया है। बैठक में फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर नर्सिंग संवर्ग के समान वेतनमान एवं ढांचा दिये जाने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव के पक्ष में यह अवगत कराया गया कि संवर्ग में केवल प्रथम स्तर के पद की समकक्षता केन्द्र से निर्धारित है। इस संवर्ग के कार्य

एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र केन्द्र की तुलना में दुरूह प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों की नियुक्ति न होने के कारण फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारकों द्वारा नर्सिंग संवर्ग के कार्यों का भी निर्वाहन किया जाता है।

(iv) दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचारोपरान्त यह अभिमत स्थिर हुआ कि प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अथवा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–निर्धारित किये जाने का औचित्य नही है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर निर्धारित वेतनमान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं है। उक्त संवर्ग के पदों पर मांग/प्रस्ताव के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(v) वर्तमान में अन्य संवर्गों यथा डेन्टल हाईजीनिस्ट/एक्सरे टेक्नीशियन से तुलना करते हुये समान अर्हता के आधार पर फार्मासिस्ट के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) फार्मासिस्ट के पद पर केन्द्रीय समकक्षता वर्ष 1986 से निर्धारित थी। उक्त पद पर वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल आधार पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– निर्धारित करने की व्यवस्था केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर ही की गयी है। केन्द्रीय समकक्षता को तोड़ते हुये प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर तथा पद के कार्य एवं उत्तरदायित्वों एवं कार्यक्षेत्र के आधार पर उच्च वेतन अनुमन्य कराये जाने हेतु सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सा विभाग तथा प्रदेश के विभिन्न संवर्गों पर इसका प्रभाव भी देखा जाना होगा।

(ब) <u>आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति</u>

(i) उक्त संवर्ग की केन्द्र से समकक्षता निर्धारित नहीं रही है। पूर्व में आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग में आप्टोमेट्रिस्ट (नेत्र सहायक) पदनाम से निर्धारित एकल स्तरीय ढ़ॉचे में कुल 931 पद उपलब्ध थे। आप्टोमेट्रिस्ट (दृष्टिमितिज्ञ) के पदों के पुनर्गठन से सम्बन्धित चिकित्सा अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–920/5–7–2009–सोलह–1036/96, दिनांक 25 मई, 2009 द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग का ढॉचा निम्नानुसार निर्धारित किया गया :–

क0 सं0	पदनाम/पूर्व वेतनमान(रू0 में)/ पद संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	सेवा अवधि (वर्षो में)	तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1–	दृष्टिमितिज्ञ/	वेतन बैण्ड–1 एवं	08	प्राथमिक स्वास्थ्य

	4500—7000/726	2800/—		केन्द्र
2—	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ/ 5000—8000/125	वेतन बैण्ड—2 एवं 4200/—	14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
3—	मुख्य दृष्टिमितिज्ञ/ 5500—9000/68	वेतन बैण्ड—2 एवं 4200/—	18	जिला स्वास्थ्य केन्द्र
4—	प्रभारी दृष्टिमितिज्ञ/ 6500—10500/14	वेतन बैण्ड—2 एवं 4600/—	22	मण्डलीय स्वास्थ्य केन्द्र

(ii) वेतन समिति (2008) द्वारा उक्त संवर्ग की मांग के क्रम में विचारोपरान्त आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियोथेरेपिस्ट के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया परन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखतें हुए कि नेत्र सहायक पद केन्द्र में उपलब्ध नहीं है और प्रदेश में आप्टोमेट्रिस्ट के पद से निम्न वेतनमान में रहे पदों (एक्सरे टेक्नीशियन तथा फार्मासिस्ट आदि) पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर नेत्र सहायक के पद से उच्च वेतनमान रु0 5000—8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/—) अनुमन्य हो रहा है, समिति द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/— अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी।

आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/— अनुमन्य कराने सम्बन्धी उक्त संस्तुति को शासन द्वारा स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया।

(iii) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियोथेरेपिस्ट,डेन्टल हाईजीनिस्ट तथा एक्सरे टेक्नीशियन से समानता के आधार पर तथा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/— निर्धारित करने की मांग पर मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2014 में विचार किया गया।

(iv) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा पुनः रिजवी कमेटी, वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुरुप आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/— अनुमन्य कराने की मॉग की गयी है। उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 में विचारार्थ रखा गया है। तदोपरान्त चिकित्सा अनुभाग—7 की पत्रावली संख्या—सोलह—1087/98 द्वारा दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति का प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किया गया।

(v) उक्त मांग के पक्ष में यह इंगित किया गया कि पैरामेडिकल संवर्ग के

अन्य कार्मिकों यथा डेन्टल हाइजेनिस्ट एवं एक्सरे टेक्नीशियन को उक्त लाभ अनुमन्य कराया जा चुका है, जिनके पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं डिप्लोमा अवधि उनके पद (आप्टोमेट्रिस्ट) के समान है। उक्त स्थिति में आप्टोमेट्रिस्ट (नेत्र परीक्षण अधिकारी) संवर्ग में आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराते हुये संवर्ग के उक्त पदों पर एक स्तर उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने की मांग की गयी।

(vi) दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित विभिन्न मांगों पर मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 जुलाई, 2014, दिनांक 18 मार्च, 2015 तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठकों में विचार किया जा चुका है। विचारोपरान्त यह अभिमत स्थिर हुआ कि वर्तमान में नेत्र परीक्षक अधिकारी संवर्ग के पदों पर निर्धारित वेतनमान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं है। उक्त संवर्ग के पदों पर मांग/प्रस्ताव के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है। नेत्र परीक्षक अधिकारी पद की अर्हता के आधार वेतन निर्धारित करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रकरण राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में अपने कार्मिकों के लिये गठित की जाने वाली अगली समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(vii) दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग की केन्द्रीय समकक्षता निर्धारित नहीं रही है। उक्त संवर्ग के निम्नतम् पद पर फिजियोथेरेपिस्ट से समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। चिकित्सा विभाग के अन्य पदों (एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट आदि) पर निर्धारित अर्हता नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता के समान होने के आधार पर इस पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराये जाने की मांग/प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण की आवश्यकता है।

7– <u>मुख्य सचिव समिति की संस्तुति</u>

उक्त संवर्गों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु सम्बन्धित संगठनों द्वारा की मांग तथा विभाग के द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सा विभाग तथा प्रदेश के विभिन्न संवर्गों पर इसका

प्रभाव भी देखा जाना होगा। अतः प्रशासकीय विभाग उक्त संवर्गों के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 14,जून, 2016।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 जून , 2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून, 2016 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(ii) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग – सदस्य

(iii) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य सचिव

2– मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निम्न प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :––

(प) परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण।

(फ) परिवार कल्याण विभाग के जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण।

3– मुख्य सचिव समिति बैठक में सर्वप्रथम उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित संवर्गों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का पक्ष सुना गया। बैठक में सम्बन्धित संगठनों की ओर से निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ।

(2) डा0 पंकज सिंह, महामंत्री, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ।

(3) श्री रनवीर सिंह धनगर, महामंत्री, प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश।

(4) श्री दिवाकर यादव, प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश।

4– बैठक में सम्बन्धित संगठनों के उक्त पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका संवर्गवार विवरण निम्नवत है :––

(प) प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निर्धारित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– आदेश निर्गत होने की तिथि 18 मई, 2015 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य

कराये जाने की मांग की गयी।

(फ) उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता (स्नातकोत्तर उपाधि), भर्ती की प्रकिया पद के कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा केन्द्र में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराये जाने की मांग की गयी।

5– सम्बन्धित संगठन के पदाधिकारियों का पक्ष सुने जाने के उपरान्त बैठक में उक्त विषयों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार किया गया। इस सम्बन्ध में विषयवार विवरण, मुख्य सचिव समिति की संवीक्षा/संस्तुतियां निम्नवत् है :––

(प) <u>स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग</u>

(1) श्री राम बदन यादव, अध्यक्ष, प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रत्यावेदन दिनांक 27 मई, 2016 के द्वारा परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी पदों की वेतन विसंगति के निराकरण की मॉग की गयी है। उक्त प्रत्यावेदन पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव समिति की बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी पदों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 07 अगस्त, 2014 तथा दिनांक 18 मार्च, 2015 को आहूत बैठक में विचार किया जा चुका है। उक्त प्रकरण पर दिनांक 18 मार्च, 2015 को आहूत बैठक में विचारोपरान्त मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त संवर्ग में दृष्टिगोचर विसंगतियों का निराकरण किया गया।

(3) मुख्य सचिव महोदय के आदेशों के समादर में सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ पुनः सन्दर्भित हुआ है।

(4) बैठक में मुख्य सचिव समिति को उक्त संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये मुख्य निर्णय तथा समय–समय पर अनुमन्य वेतनमान एवं ग्रेड वेतन आदि के विवरण/तथ्यात्मक स्थिति से निम्नवत् अवगत कराया गया : ––

(i) समिति (2008) द्वारा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी संवर्ग के पद वेतनमान रू0 5500–9000 तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वेतनमान रू0 5000–8000 के सम्बन्ध में यह संस्तुति की गयी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वेतनमान रू0 5000–8000

(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(ii) उक्त संस्तुतियों पर विचारोपरान्त स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पद पर समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता के दृष्टिगत उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया और उनका ग्रेड वेतन रू0 4200/– ही रखा गया। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पद पर जिला स्तरीय पद होने के आधार पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराये जाने का भी औचित्य नहीं पाया गया। परन्तु जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का पद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद होने के दृष्टिगत जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाना उपयुक्त पाया गया। उक्त के आधार पर वेतन समिति की संस्तुति को इस रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया कि जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(iii) प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को मानते हुए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4600/– व जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराने की मॉग की गयी है। संवर्ग के कार्य उत्तरदायित्वों, एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत दी गयी महत्वपूर्ण भूमिका एवं उत्तरदायित्वों, न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि तथा लोक सेवा आयोग के

परिधि के राजपत्रित पद होने के आधार पर उक्त मॉग की गयी है।

(iv) उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2014 में विचार–विमर्श के उपरान्त यह अभिमत स्थिर हुआ कि विभाग द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की अर्हता, कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अनुरुप बताये गये है। अतः प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त स्थिति के आलोक में परीक्षण कर लिया जाय और तत्क्रम में सुविचारित विस्तृत प्रस्ताव तथ्यों सहित उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(v) उक्त के क्रम में प्रशासकीय द्वारा विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सवंर्ग के पदों तथा भारत सरकार में District Extension Educator and Health Educator की शैक्षिक योग्यता, कार्य एवं दायित्वों का विवरण उपलब्ध कराते हुये राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व केन्द्र के समानान्तर पद की तुलना में अधिक होने के आधार पर, इन्हें केन्द्र के समान ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 मार्च, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया। विचारोपरान्त मुख्य सचिव समिति द्वारा प्रदेश के मनोवैज्ञानिक संवर्ग/समाजशास्त्री संवर्ग के लिये निर्धारित अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया एवं उनके कार्य एवं उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों पर वर्तमान मे अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग का आदेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य कराये जाने औचित्य पाया गया। उक्त के आधार पर मुख्य सचिव समिति द्वारा की संस्तुतियों पर निम्नवत् निर्णय लिये गये :––

(त) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान मे अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग का आदेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य कराया जाये। साथ ही उक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्तमान भर्ती की प्रक्रिया तथा

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता को बनाये रखते हुये कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान की अर्हता का समावेश भी किया जाये।

(थ) जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग का आदेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य कराया जाये।

उक्त निर्णय से प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–24/15/वे0आ0–2–349/दस–08 (मु0स0 स0)/2008 टी0 सी0 दिनांक 08 मई, 2015 द्वारा संसूचित किया गया।

उक्त निर्णय के अनुपालन में वित्त विभाग की सहमति से चिकित्सा अनुंभाग–10 द्वारा शासनादेश संख्या–622/5–10–15–जी0– 64/10 दिनांक 18 मई, 2015 निर्गत किया गया।

(vii) प्रान्तीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अब जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराने की मांग की गयी है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अन्य संवर्गों/पदों (एक्सरे टेक्निशियन तथा डेन्टल मेकेनिक/हाइजीनिस्ट आदि) से समानता के आधार पर पद पर उच्चीकृत/संशाधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से दिये जाने की मांग की गयी है।

(viii) उक्त मांग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार जिन पदों के वेतनमान का उच्चीकरण भारत सरकार से समानता/तुलनीयता के आधार पर किये जाने का औचित्य पाया गया, वहॉ उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया गया।

परन्तु जिन पदों/संवर्ग के वेतनमान का उच्चीकरण/पुनर्गठन

उनके कार्य दायित्व/कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किये जाने का औचित्य पाया गया है, वहॉ उच्चीकृत वेतनमान/पुनर्गठन का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया गया है।

फार्मासिस्ट, डेन्टल हाइजीनिस्ट, एक्सरे टेक्निशियन के पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराये गये।

वेतन समिति (2008) द्वारा भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी थी। बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 में मुख्य सचिव समिति द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता के दृष्टिगत उक्त पद तथा इस पद के लिये पदोन्नति के पद (जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी) पर एक स्तर उच्च ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने का औचित्य पाते हुए उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने की संस्तुति की गयी। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4600/– पद पर निर्धारित अर्हता के आधार पर अनुमन्य कराया गया है और केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य नहीं कराया गया हैं। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का पद पदोन्नति का पद होने के दृष्टिगत उक्त पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया गया है। फलस्वरूप उक्त पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये गये हैं।

उक्त स्थिति में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर, मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव अर्थात चिकित्सा अनुभाग–10 के शासनादेश दिनांक 18 मई, 2015 के निर्गत होने की तिथि से ही अनुमन्य होंगे। उक्त पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(5) <u>समिति द्वारा की गयी संवीक्षा</u>

उपर्युक्त के आलोक में विचार विमर्श के उपरान्त स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति के प्रकरण पर समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :––

(i) जिन पदों के वेतनमान का उच्चीकरण भारत सरकार से समानता/

तुलनीयता के आधार पर किये जाने का औचित्य पाया गया, वहॉ उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया गया।

परन्तु जिन पदों/संवर्ग के वेतनमान का उच्चीकरण/ पुनर्गठन उनके कार्य दायित्व /कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किये जाने का औचित्य पाया गया है,वहॉ उच्चीकृत वेतनमान/पुनर्गठन का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया गया है।

(ii) वेतन समिति (2008) द्वारा भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी थी।

(iii) इस समिति द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता के दृष्टिगत उक्त पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया। ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने का औचित्य पाते हुए उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने की संस्तुति की गयी। साथ ही जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का पद पदोन्नति का पद होने के दृष्टिगत उक्त पद पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन केन्द्र से समानता के आधार पर अनुमन्य नहीं कराया गया।

(iv) उक्त स्थिति में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव अर्थात चिकित्सा अनुभाग–10 के शासनादेश दिनांक 12 मई, 2015 के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराये गये है।

(v) उपर्युक्त परिस्थितियों में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उक्त शासनादेश दिनांक 18 मई, 2015 द्वारा स्वीकृत उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(6) <u>समिति की संस्तुति</u>

उक्त परिदृश्य में सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर चिकित्सा अनुभाग–10 के शासनादेश दिनांक 18 मई, 2015 द्वारा स्वीकृत उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उक्त शासनादेश

दिनांक 18 मई, 2015 के निर्गत होने की तिथि से जो अनुमन्य किये गये है, उसे यथावत् रखा जाय।

(फ) <u>जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति</u>

(1) उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ के पत्र दिनांक 03 मई, 2016 द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एंव ग्रेड वेतन रू0 5400/– की मांग की गयी है, जिस पर मुख्य सचिव महादेय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव समिति की बैठक में विचार करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में उक्त प्रकरण प्रथम बार मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ है।

(2) बैठक में मुख्य सचिव समिति को परिवार कल्याण विभाग के जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया विवरण/तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है : ––

(i) वेतन समिति (2008) द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) के माध्यम से परिवार कल्याण विभाग की संस्तुतियॉ प्रदान की गयीं। उक्त संस्तुतियों में प्रशासनिक अधिकारी के सम्बन्ध में समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :––

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिवार नियोजन ब्यूरो में शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा वेतनमान रु0 225–500 में 44 जिलों में प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किये गये।

(ख) उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण जिला प्रशासनिक अधिकारी सेवा– नियमावली, 1992 के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी सेवा में समूह **"ख"** के पद समाविष्ट हैं और उक्त पद का वेतनमान रु0 2000–3200 (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रु0 6500–10500/दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–) निर्धारित है।

(ग) उक्त नियमावली, 1992 के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था है तथा सीधी भर्ती हेतु निम्न अर्हता निर्धारित है :––

<u>अनिवार्य अर्हता–</u> भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

<u>अधिमानी अर्हता–</u> भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी

विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से लोक प्रशासन में डिप्लोमा या उपाधि।

(घ) समिति द्वारा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के सम्बन्ध में 02 वेतनमान रु0 7500–12000 तथा वेतनमान रु0 8000–13500 संस्तुत किये गये हैं। जिला स्तरीय पद होने तथा सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया एवं कार्य/उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है।

(च) सामान्य कोटि के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी का पद उपलब्ध होने के कारण जिला प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम परिवर्तित किया जाना उचित होगा। उक्त स्थिति में जिला प्रशासनिक अधिकारी के उक्त पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए जिला परिवार कल्याण अधिकारी किया जाना उपर्युक्त होगा।

उपरोक्त संवीक्षा के आधार पर वेतन समिति (2008) द्वारा यह संस्तुति की गयी कि जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। साथ ही उक्त पद का पदनाम जिला परिवार कल्याण अधिकारी रखा जाये।

(ii) शासन द्वारा विचारोपरान्त वेतन समिति (2008) द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद के सम्बन्ध में की गयी उक्त संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया।

(iii) उ0प्र0 जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद की अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, कार्य/उत्तरदायित्व, प्रदेश के अन्य पदों से समानता तथा केन्द्र से समकक्षता के आधार पर जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराये जाने की मांग की गयी।

(iv) उक्त मांग के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या–प0क0/3/स्था0–2/संघ/2016/1462, दिनांक 19 मई, 2016 तथा उत्तर प्रदेश जिला प्रशासनिक अधिकारी संघ के मांग पत्र दिनांक

03 मई, 2016 के अनुसार उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है :––

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–एफ0पी0–067330/16–11–1984/65, दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा जिला परिवार नियोजन ब्यूरो में प्रशासनिक अधिकारी के 44 पद वेतनमान रु0 225–500 (दिनांक 01 अगस्त, 1972 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 400–750 तथा दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 5000–8000) में सृजित किये गये।

(ख) जिला प्रशासनिक अधिकारी, परिवार कल्याण की समकक्षता भारत सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है अपितु प्रशासनिक अधिकारी का पद भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परिवार नियोजन कार्याक्रम के अन्तर्गत जिला परिवार नियोजन ब्यूरो के अन्तर्गत अन्य पदों के साथ सृजित किया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस पद का वेतनमान उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के समकक्ष दर्शाया गया है। शासनादेश दिनांक 06 सितम्बर, 1997 द्वारा तहसीलदार के पद पर अनुमन्य वेतनमान रु0 2000–3200 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान रु0 2200–4000 अनुमन्य किया गया।

(ग) जिला प्रशासनिक अधिकारी का पद परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है और प्रशासनिक अधिकारी के पद पद का ग्रेड वेतन रु0 4600/– के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 5400/– किये जाने से भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन हो जायेगा और राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पडेगा।

(घ) उपरोक्तानुसार अवगत कराते हुए महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

(ङ) संघ द्वारा यह इंगित किया गया है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी पद उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण जिला प्रशासनिक अधिकारी नियमावली, 1992 के अनुसार समूह 'ख' के पद में समाहित है और उक्त पद का वेतनमान

रू0 2000– 3200/ सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600/– है, जो अन्य समकक्षी पदों के सापेक्ष काफी कम है।

(च) संघ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी एवं मिनीस्ट्रियल कैडर के प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम की शब्दिक समानता से होने वाली भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है।

(v) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या–24/2015/वे0आ0–2–349/दस–8(मु0स0स0)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 मई, 2015 द्वारा परिवार कल्याण विभाग के जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया गया है। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का पद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के लिये पदोन्नति का पद होने के आधार पर उक्त पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया गया है।

(vi) कतिपय अन्य संवर्गों में भर्ती के लिये स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता निर्धारित होने के साथ ग्रेड वेतन रू0 4200/– अथवा ग्रेड वेतन रू0 4600/– ही अनुमन्य कराया गया है। उदाहरण स्वरूप सांख्यिकीय संवर्ग में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य है तथा उक्त पद हेतु गणित/गणितीय सांख्यिकीय/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/वाणिज्य विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं 'ओ' लेवल का डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है। इसी प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री के पदों पर सीधी भर्ती हेतु समाजशास्त्र/मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया है।

(vii) बैठक में विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि जिला प्रशासनिक अधिकारी की प्रास्थिति को देखते हुये उक्त पद पर कम से कम वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया जाये।

(3) मुख्य सचिव समिति की संवीक्षा

उपर्युक्त के आलोक में विचार विमर्श के उपरान्त परिवार कल्याण विभाग के जिला प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति के प्रकरण पर समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :––

(i) जिला प्रशासनिक अधिकारी, परिवार कल्याण की समकक्षता भारत सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी से नहीं

है अपितु प्रशासनिक अधिकारी का पद भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परिवार नियोजन कार्याक्रम के अन्तर्गत जिला परिवार नियोजन ब्यूरो के अन्तर्गत अन्य पदों के साथ सृजित किया गया है।

वर्णित स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर केन्द्र से समानता के आधार पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(ii) जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का पद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के लिये पदोन्नति का पद होने के आधार पर उक्त पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया गया है। अतः इस पद से समानता के आधार पर जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(iii) प्रदेश में अन्य पदों पर स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ग्रेड वेनत रू0 4200/– अथवा ग्रेड वेतन रू0 4600/– ही अनुमन्य है। उक्त स्थिति में जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर निर्धारित निर्धारित होने के दृष्टिगत उक्त पद पर वर्तमान परिदृश्य में ग्रेड वेतन रू0 4600/– से उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(iv) जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद की प्रास्थिति को देखते हुये उक्त पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सा विभाग तथा प्रदेश के विभिन्न संवर्गों पर इसका प्रभाव भी देखा जाना होगा। भारत सरकार द्वारा गठित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है, जिसके क्रम में राज्य में भी वेतन समिति गठित की जायेगी। अतः इस प्रकरण पर राज्य में गठित होने वाली वेतन समिति द्वारा विचार किया जाना उपयुक्त होगा। तत्समय प्रशासकीय विभाग इस सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम से पद होने के कारण इस पद का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी होने से भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके निराकरण हेतु इस पद का पदनाम लिपिकीय संवर्ग से हटकर जिला परिवार कल्याण अधिकारी रखा जाना उपयुक्त होगा।

(4) मुख्य सचिव समिति की संस्तुति

उपर्युक्त परिदृश्य में समिति की संस्तुतियां निम्नवत् हैं :–

(i) जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर केन्द्र से समानता के आधार पर तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर निर्धारित ग्रेड वेतन रू0 4800/– के आधार पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(ii) जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर निर्धारित होने के आधार पर उक्त पद पर वर्तमान परिदृश्य में ग्रेड वेतन रू0 4600/– से उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(iii) जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद की प्रास्थिति को देखते हुये उक्त पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सा विभाग तथा प्रदेश के विभिन्न संवर्गों पर इसका प्रभाव भी देखा जाना होगा। भारत सरकार द्वारा गठित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है, जिसके क्रम में राज्य में भी वेतन समिति गठित की जायेगी। अतः इस प्रकरण पर राज्य में गठित होने वाली वेतन समिति द्वारा विचार किया जाना उपयुक्त होगा। तत्समय प्रशासकीय विभाग इस सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम से पद होने के कारण इस पद का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी होने से भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके निराकरण हेतु इस पद का पदनाम लिपिकीय संवर्ग से हटकर जिला परिवार कल्याण अधिकारी रखा जाये।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 14,जून, 2016।